

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

वाद सं० 59/2021

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 24/2021 दिनांक 08/07/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) प्रेम शंकर साहु उर्फ गणेश उम्र 48 वर्ष (2) दिनेश कुमार उम्र 46 वर्ष दोनो पिता स्व० लक्ष्मी नारायण साहु स० तुरबुल थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) प्रकाश सिंह उम्र 30 वर्ष पिता स्व० हिरा सिंह ग्राम तुरबल थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि विवाद को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के पक्षों उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद पर कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	